समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / /2016 निगरानी निग - 2515 - I -16

121

Rajendra Jain
Rajni Vashishtha Sharma

1 हरदेव सिंह

2 खिलाडी सिंह

3 गिन्नी सिंह पुत्रगण श्री रंगी सिंह

निवासीगण– ग्राम चंदौली तहसील

घुवारा जिला छतरपुर म0 प्र0

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

Yogendra ... Adv

1 हीरा सिंह पुत्र श्री घूर चन्द्र घोषी

निवासी ग्राम चंदौली लहसील बिजावर

जिला छतरपुर

2 किरन सिंह पुत्र स्व0 श्री पडू सिंह

निवासी– ग्राम चंदौली तहसील घुवारा

जिला छतरपुर म0 प्र0

OPSharma

.....रेस्पोंडेट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश प्र0 क्र0/33/अपील/बी–121/2015–16 दिनांकी 29/07/2016 द्वारा पारित अपर कलेक्टर जिला छतरपुर

श्री राजेन्द्र जैन द्वारा आज दि. 2-8-16 को प्रस्तुत
2-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2575-एक/2016 जिला छतरपुर हरदेव विरूद्ध हीरासिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.एल.सोनी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 33/अपील/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
7.1.19